

फरद अदालत

(निम्न 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती शान्ती बनाम गोपाल जाट (कौरा)

क्रमांक मुद्दा नं० प्रा.पत्र 111-128 नं० 110 सन 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्ल जज

नम्बर व अहकाम या हुकम के मसलत में जा

-8-21

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथमिक को सम्मन नोटिस जारी किये जाते। पत्रावली दिनांक 7-9-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल

7-9-21 समय मध्य रात्रि कार्य से बाहर अतः पत्रावली दिनांक 28-9-21 को पेश हो।  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

13<sup>11</sup>/<sub>21</sub> पत्रावली प्रशासन गाँवों के लोग अभियान 2021 के मय ग्राम खिरडिया में पेश हुई अप्राथमिक के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिले शाखफ किये गये। पत्वार केल्का पत्वारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। प्राथमिक का तार्पना पत्र स्वीकार किया जाकर निरूपण से लिखा जाकर शा.प. किया गया। पत्रावली केवल सुमार होकर नम्बर से कम है।

डॉ. पूजा सुक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 110/21 प्रा.पत्र  
1- श्रीमती शान्ति लक्ष्मी बैंक जाट जिलासी - दाता कला तहसील - मांडल (भीलवाड़ा)

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

बनाम

1- श्री जीपाल लक्ष्मी जाट जाट जिलासी - दाता कला तहसील - मांडल (भीलवाड़ा)  
(सहायक प्रा.पत्र संख्या)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 13.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... दाता कला ..... पटवार हल्का..... दाता कला ..... तहसील मांडल/में उसके

खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 857, 906, 908, 909, ..... कुल किता ..... 07  
रकबा 204914 हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी

मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10-8-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... दाता कला

पटवार हल्का..... दाता कला ..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 857, 906, 908, 909, .....  
945, 960, 961 ..... कुल किता ..... 07 ..... रकबा 204914 ..... हेक्टेयर.....

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... को ..... 900/-/- रूपय कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी मांडल

5/11/21